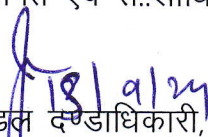
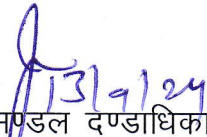


न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (बसिया)

आदेश

वाद सं० 35/2016
धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष – राम कृष्णा ओहदार
बनाम
द्वितीय पक्ष – सन्तु ओहदार वगै०....

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	अभिलेख उपस्थापित :- थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 12/2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष :-राम कृष्णा ओहदार, पिता- स्व० बंधु ओहदार उम्र 50 वर्ष ग्राम-उमड़ा,ठेकराटोली थाना- पालकोट, जिला- गुमला द्वितीय पक्ष :- (1) सन्तु ओहदार उम्र 58 वर्ष, पिता- स्व० बंधु ओहदार (2) चन्द्रकान्त ओहदार उम्र 36 वर्ष (3)रवि कान्त ओहदार उम्र 32 वर्ष (4) शशिकान्त ओहदार उम्र 26 वर्ष तीनों के पिता- सन्तु ओहदार ग्राम- उमड़ा,ठेकराटोली वर्तमान पता- लचरागढ़, थाना-कोलेबीरा सभी थाना- पालकोट जिला- गुमला के बीच भूमि संबंधित विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर वाद लाया गया था। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद की कार्रवाई अवधि में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार की शांति भंग एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त वाद की कार्रवाई अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद नहीं होने के कारण आज दिनांक <u>13/09/2024</u> को उक्त वाद के अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद किया जाता है। लेखापित एवं सं.शोधित।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)	